न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-42/2012
CMS NO:- 2012/00007

दायर दिनांक: 28.05.2012

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रहलाद पुत्र देवीलाल जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

-वादी

बनाम

1. बद्री पुत्र छीतर जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. धनराज पुत्र छीतर जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. श्योराज पुत्र छीतर जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. रामरतन पुत्र दल्ला जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

4/1. नर्बदा बेवा रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/2. कन्हैयालाल पुत्र रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/2/1. गीता पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/2/2. सावरा पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/2/3. मैना पुत्री कन्हैयालाल पत्नी लोकेश जाति धाकड निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक।
4/3. शोभाग पुत्र रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/4. रामलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/5. मनराज पुत्र रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/6. फोरूलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड निवासी जरखोदा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4/7. ममता पुत्री रामरतन पत्नी फोरूलाल जाति धाकड निवासी भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

5. रामबिलास पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रसीलाल पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. रामभज पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. शंकर पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. जगदीशी पुत्री कजोड पत्नी शिराज जाति धाकड निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक।
10. सुक्खा पुत्र रामकुवांर जाति धाकड निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 68 क व 251 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री राजेश ठाकोर एड़वोकेट
2. प्रतिवादी 1 लगायत 4 के अभिभाषक श्री ...
3. प्रतिवादी 5 लगायत 8 व 10 के अभिभाषक श्री अशोक शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:47:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 19.04.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जरखोदा पटवार हल्का जरखोदा तहसील [illegible]वां में भूमि खसरा सं. 1326 रकबा 26–15 बीघा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में [वर्णि]त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 5 लगायत 10 का है। यह कि [ज]माबंदी में दर्ज खातेदार रामकुवांर की मुत्यु हो चुकी है जिसका वारिस गोदपुत्र सुक्खा है। जिसके नाम रामकुवांर ने वसीयत भी की है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के अतिरिक्त शेष रामकुवांर की भूमियों पर सुक्खा के नाम इन्तकाल भी खुल चुका है परन्तु सदभावना पूर्वक भूल की वजह से नकल पेश नहीं होने से चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर इन्तकाल खुलने से हर गया। यह कि भूमि खसरा संख्या 1325 के खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 है व भूमि खसरा संख्या 1315 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 रामरतन है। यह कि वादी के हिस्से की भूमि में जाने का एक रास्ता सकतपुरा से जरखोदा जाने वाले रास्ते से फटकर खं0 सं0 1315 व ख0 सं0 1325 के बीच की भूमि में होकर वादी के हिस्से की भूमि में जाता है जो करीब 10 फुट चौडा है जिसमें होकर वादी अपने ट्रेक्टर, बेलगाडी, हल कुली आदि लेकर वर्षों से आवागमन कर रहा है और रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त कर चुका है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याली से बता रखा है। इस रास्ते के अलावा वादी के खेत में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कि उक्त रास्ता संकडा होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है जिसको चौडा करीब 30 फुट करने के लिए वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 7 एवं परिशिष्ट अ में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाए, प्रतिवादीगण की पट्‌टीया व जालीयां हटवाए, रास्ते को 30 फुट तक चौडा करवाए, नक्सा ट्रेस में रास्ता दर्ज करवाए एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाए कि प्रतिवादीगण वादी के रास्ते वार वादी के हक, अधिकार व सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं ही करे न ऐसा किसी अन्य से करवाए तथा आवागमन में बाधा नहीं डाले। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस परिशिष्ट अ और शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 10 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिकी फरमा दिया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 7 में वर्णित कथित रास्ते का उपयोग व उपभोग वादी ने आज दिन तक कभी नहीं किया है मौके पर कोई रास्ता नहीं है चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जाने का रास्ता सकतपुरा से जरखोदा जाने वाले रास्ते में से फतेहगंज से कांकरिया जाने वाला रास्ता जो खसरा संख्या 1325 के बीच में होता हुआ वादी की कृषि भूमि खं0 सं0 1326 के उत्तरी कोने से ही निकलता है जिसका उपयोग व उपभोग वादी शुरू से करता चला आ रहा है इस कारण वादी को दुसरा रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

रास्ता दिये जाने के संबंध में तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार खं0 सं0 1315 रकबा 18–11 बीघा में से 2 बिस्वा [illegible] उपयोग होना है। ग्राम जरखोदा की जमाबंदी के अनुसार खं0 सं0 1315 रकबा [illegible] कन्हैयालाल, सोभाग, रामलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:47:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बूंदी)

Scanned with CamScanner

मनराज, ओमप्रकाश वल्द रामरतन कौम धाकड सा0 देह के खाते दर्ज है। उक्त प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "क" द्वारा दर्शाया गया है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वादी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद–पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम जरखोदा पटवार हल्का जरखोदा तहसील नैंनवां में भूमि खसरा सं. 1326 रकबा 26–15 बीघा पर पहुंचने के लिए खं0 सं0 1315 रकबा 18–11 बीघा में से 2 बिस्वा कुल 2 बिस्वा भूमि का उपयोग होना है। ग्राम जरखोदा की जमाबंदी के अनुसार खं0 सं0 1315 रकबा 18–11 बीघा सांवरा पि0 कन्हैयालाल, सोभाग, रामलाल, मनराज, ओमप्रकाश वल्द रामरतन कौम धाकड सा0 देह के खाते दर्ज है। रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैंनवां को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर वादी का रास्ता बहाल कर राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी ... बून्दी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:47:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner